न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या– 67/2024.
(संबंधित नालसी वाद संख्या–42सी/2024)
कम्प्युटर पंजीयन संख्या– 67/2024.

उपस्थितः संजय कुमार–2,
अपर सत्र न्या0–प्रथम,खगड़िया।

अजय कुमार मधुकर .....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. बिहार राज्य ..... विपक्षी।
2. रामविलास प्रसाद एवं दो अन्य.....विपक्षी सं0–2,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से– श्री राजीव प्रसाद, वि0 अधि0।
बिहार राज्य की ओर से– श्रीमती रंजना कुमारी, वि0अ0लो0अ0।
विपक्षी संख्या–2 की ओर से–श्री विकास कुमार सिंह, वि0अ0।

20.04.2026 **आदेश**

1. उभय पक्षों की ओर से हाजिरी दी गई है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

1. अभिलेख का अवलोकन किया। यह आपराधिक पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता अजय कुमार मधुकर की ओर से विद्वान न्यायलय श्री कमलेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया के द्वारा नालसी वाद संख्या 42सी/2024 में दिनांक 14.05.2024 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

2. पुनरीक्षणकर्ता ने अपने आवेदन में मुख्य रूप से कथन किया है कि विपक्षीगण द्वारा दिनांक 15.09.2022 से 23.01.2024 तक घटना कारित किया है जिसके कारण विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में नालसी वाद संख्या 42सी/2014 कुल तीन अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 23.01.2024 को धारा 406,420,467,468,471 भा0दं0वि0 एवं 138 एन0आई0एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया है जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया के द्वारा श्री कमलेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, खगड़िया के न्यायालय में

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या– 67/2024.
(संबंधित नालसी वाद संख्या–42सी/2024)
कम्प्युटर पंजीयन संख्या– 67/2024.

उपस्थितः संजय कुमार–2,
अपर सत्र न्या0–प्रथम,खगड़िया।

लगातार,पेज–2
20.04.2026

विचारण एवं निष्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया है। परिवादी द्वारा जाँच के क्रम में दो जाँच साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिन्होंने अपने जाँच साक्ष्य में परिवाद–पत्र में किये गये कथन का समर्थन किया है तथा घटना से संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति भी दाखिल किया है। लेकिन विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2024 के आदेश से धारा 203 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परिवाद–पत्र को खारिज कर दिया है। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश नियम के विरूद्ध पारित किया गया है। विद्वान न्यायालय ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का सही से अवलोकन नहीं किया है। विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 के चेक की अनदेखी की गयी है। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश कानून की नजर में गलत है। विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2024 को पारित किया गया प्रश्नगत आदेश बिना न्यायिक विचार किये पारित किया गया आदेश है। इसलिए उक्त आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अभिलेख तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.04.2024 का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी अजय कुमार मधुकर के द्वारा कुल तीन नामित अभियुक्तगणों के विरूद्ध दिनांक 15.09.2022 से लगायत परिवाद–पत्र दाखिल करने की तिथि तक की घटना को लेकर नालसी वाद लाया गया है जिसमें मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण उसे एक कट्ठा जमीन दस लाख रूपये में देने की बात कहा, जिसके एवज में वह सात लाख रूपया नगद दिया, लेकिन जमीन नहीं लिखा और उसे चार चेक दिया।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।

<u>आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या– 67/2024.</u>
(संबंधित नालसी वाद संख्या–42सी/2024)
कम्प्युटर पंजीयन संख्या– 67/2024.

उपस्थितः संजय कुमार–2,
अपर सत्र न्या0–प्रथम,खगड़िया।

<u>लगातार,पेज–3</u>
20.04.2026

चेक लेकर बैंक गया तो मुदालय के खाते में पैसा नहीं था तथा उक्त चेक बाउन्स कर गया, परिवादी द्वारा उक्त चेक की छाया प्रति दाखिल किया गया है। जाँच के क्रम में परिवादी द्वारा स्वयं का शपथ पर बयान दिया गया एवं दो जाँच साक्षियों का साक्ष्य भी कराया गया है जिनके साक्ष्य से परिवाद–पत्र के कथन का समर्थन होना विदित होता है। लेकिन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया के द्वारा दिनांक 14.05.2024 को धारा 203 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत परिवाद–पत्र को खारिज कर दिया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में इस आपराधिक पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत किया जाता है एवं प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.05.2024 को अपास्त (निरस्त) किया जाता है तथा इस वाद को निष्पादित किया जाता है। विद्वान संबंधित न्यायालय परिवाद–पत्र में लगाये गये आरोप एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुये पुनः नवीन आदेश पारित करें। इस आदेश की प्रति एवं मूल अभिलेख संबंधित निम्न न्यायालय को भेजें। अभिलेख नियमानुकूल अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित एवं संशोधित)

संजय कुमार

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।